

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 14/2019 प्रार्थना पत्र

- | | | |
|--|------|--|
| 1. टीकमचन्द जैन पुत्र देवकरण जैन मैसर्स
हॉटल रोयल एम्बेसी, 35 बसन्त विहार,
भीलवाड़ा | बनाम | 1. सरकार जरिये आनन्द कुमार खाद्य
सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
भीलवाड़ा |
| 2. संजय जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन मैसर्स
हॉटल रोयल एम्बेसी, 35 बसन्त विहार,
भीलवाड़ा | | |
| 3. मैसर्स हॉटल रोयल एम्बेसी, 35 बसन्त विहार,
भीलवाड़ा | | |

-प्रार्थीगण

-विपक्षी

प्रार्थना पत्र विरुद्ध प्रकरण सं. 42/2018 खा. सुरक्षा निर्णय दिनांक 22.04.2019



उपस्थित –

1. श्री राजेन्द्र जैन अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से
2. विपक्षी की ओर से विभागीय परोकार

निर्णय

दिनांक 10/10/2019

प्रार्थीगण ने प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी सम्मन प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हुये, जिससे प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके एवं प्रकरण में वास्तविकता प्रकट नहीं हो सकी। प्रकरण की मूल पत्रावली में कार्यवाही संबंधी दस्तावेज में किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है तथा जिस बाबूलाल पायक को गवाह बनाया गया है, वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा में कार्यरत है। मामले में जानबूझकर स्वतंत्र गवाह को संयोजित नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही में फूड सेफ्टी एवं स्टेण्डर्ड एक्ट 2006 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है। प्रार्थीगण को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी। निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय निर्णय को अपास्त किया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.07.2019 को पंजीकृत करते हुये विपक्षी को नोटिस जारी किया गया व पत्रावली तलब की गयी।

प्रस्तुत निगरानी में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

प्रार्थीगण के प्रतिनिधि ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 05 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी सम्मन प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हुये, जिससे प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके एवं प्रकरण में वास्तविकता प्रकट नहीं हो सकी। प्रकरण की मूल पत्रावली में कार्यवाही संबंधी दस्तावेज में किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है तथा जिस बाबूलाल पायक को गवाह बनाया गया है, वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं

स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा में कार्यरत है। मामले में जानबूझकर स्वतंत्र गवाह को संयोजित नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही में फूड सेफ्टी एवं स्टेण्डर्ड एक्ट 2006 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है। प्रार्थीगण को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी। निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय निर्णय को अपास्त किया जावे।

विपक्षी परोकार ने बहस में बताया कि मूल प्रकरण सं. 42/2018 में प्रार्थी विपक्षी सं. 01 से लगायत 03 के सम्मन नोटिस होटल के कर्मचारी ने दिनांक 01.01.2019 को प्राप्त कर होटल की मोहर लगाकर प्राप्ति रसीद दी है, जो बाद तामील होकर पत्रावली में संलग्न हैं। इससे स्पष्ट है कि मूल प्रकरण में विपक्षी सं. 01 से लगायत 03 को कोर्ट तारीख पेशी जानकारी में थी। लिये गये सैम्पल के मौका पर्चा रिपोर्ट पर स्वयं विपक्षी सं. 01 जो कि होटल के कर्मचारी हैं, के हस्ताक्षर हैं। निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा प्रकरण सं. 42/2018 में बहस सुनी जाकर प्रकरण को दिनांक 22.04.2019 को ही निर्णित कर दिया गया। न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर सुनवाई की जाकर ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है। प्रकरण के निर्णय करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुयी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में जो तथ्य प्रस्तुत किये वह प्रकरण में जारी सम्मन के विधिवत तामील होने से एवं लिये गये सैम्पल के मौका पर्चा रिपोर्ट पर स्वयं विपक्षी सं. 01 जो कि होटल के कर्मचारी हैं के हस्ताक्षर होने से प्रकरण में पुनः सुनवायी की जाना न्यायोचित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में पुनः सुनवाई के कोई आधार नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अतएव—

आदेश

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के खाद्य सुरक्षा प्रकरण सं. 42/2018 निर्णय दिनांक 22.04.2019 के संबंध में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में बिना प्रार्थीगण को सुने ही निर्णय पारित किया जाना अंकित किया है। जबकि इस न्यायालय के खाद्य सुरक्षा प्रकरण सं. 42/2018 निर्णय दिनांक 22.04.2019 में प्रथम दृष्टतया कोई अशुद्धि नहीं हुयी एवं गणना में भी कोई त्रुटि नहीं रही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में जो तथ्य प्रस्तुत किये वह प्रकरण में जारी सम्मन के विधिवत तामील होने से एवं लिये गये सैम्पल के मौका पर्चा रिपोर्ट पर स्वयं विपक्षी सं. 01 जो कि होटल के कर्मचारी हैं के हस्ताक्षर होने से प्रकरण में पुनः सुनवायी की जाना विधि सम्मत नहीं होने से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10-10-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
खाद्य निर्णय अधिकारी एवं न्यायालय सहायक जिला कलेक्टर
(खाद्य सुरक्षा एवं न्याय) भीलवाड़ा (राज.)
भीलवाड़ा (राज.)